

कार्यालय- जिला शिक्षा पदाधिकारी, गिरिडीह

प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा व शैक्षणिक प्रशासन, गिरिडीह, बिहार-824001

फोन- 266043, 261422

कार्यालय आदेश

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड राँची की अधिसूचना संख्या-434, दिनांक-01.03.2016 द्वारा प्रस्थापित झारखण्ड सरकारी माध्यमिक विद्यालय शिक्षक नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली 2015 के आलोक में झारखण्ड कर्मचारी नयन आयोग, राँची के विज्ञापन संख्या 21/2016 द्वारा संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2016 के परीक्षाफल एवं कॉन्सिलिंग के उपरान्त झारखण्ड कर्मचारी नयन आयोग, राँची द्वारा स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक (सीपी भर्ती) एवं झारखण्ड सरकार के प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक पद पर नियुक्ति हेतु विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए कुल-391 में से 378 अनुशंसित अभ्यर्थियों को उपायुक्त, गिरिडीह की अध्यक्षता में जिला शिक्षा स्थापना समिति की बैठक दिनांक-26.06.2019 एवं दिनांक 22.07.2019 को लिए गए निर्णय के आलोक में वेतनमान 9300-34600, ग्रेड पे 4600 एवं सरकार द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ता के साथ अस्थायी रूप से योगदान की तिथि से निम्नांकित शर्तों के अधीन शिक्षक पद पर नियुक्त कर उनके नाम के सामने अंकित विद्यालय में पदस्थापित किया जाता है-

अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	अनुक्रमांक	विषय	सीपी भर्ती / प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक	व्यक्ति कोटि (UR/SC/ST/BC-I/BC-II)	पदस्थापित विद्यालय का नाम
AJAY KUMAR PANDEY	BRU BIHARI PANDEY	11121118189	राष्ट्रीय शिक्षा	सीपी भर्ती	UR	H.S. GANDEY, GRD

शर्तें-

1. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है।
2. योगदान के पश्चात् दो वर्षों की सेवा परीक्ष्यमान अवधि की होगी संतोषप्रद सेवा के आधार पर उनकी सेवा संपुष्टि पर विचार किया जाएगा।
3. संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक योगदान करने वाले शिक्षक/शिक्षिका को दो दिनों के अन्दर उनकी शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक/आवसीय/जाति प्रमाण पत्र आदि का मिलान संबंधित मूल दस्तावेज से कर लेंगे। मूल दस्तावेज से मिलान करते समय किसी प्रकार की त्रुटि पाए जाने की स्थिति में उसकी सूचना अविलम्ब अघोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। अन्यथा की स्थिति में सारी जवाबदेही संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक की होगी।
4. अभ्यर्थी द्वारा उपस्थापित शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक प्रमाण-पत्र एवं अन्य कागजात की जाँच संबंधित बोर्ड/संस्था एवं विश्वविद्यालय से कराए जाने के पश्चात् उनका कोई भी प्रमाण-पत्र या कागजात जाली पाए जाने की स्थिति में बिना सूचना के किसी भी समय उनकी नियुक्ति रद्द कर दी जायेगी और उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
5. जाँचोपरान्त यह पाए जाने पर कि वे मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किए हैं तो उनकी नियुक्ति बिना सूचना के किसी भी समय समाप्त कर दी जाएगी और उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।
6. योगदान के समय मुख्य असेनिक शल्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त चिकित्सा प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा तभी उनका योगदान स्वीकृत हो सकेगा।
7. योगदान के समय अभ्यर्थी को इस आशय का शपथ-पत्र देना होगा कि वे न तो दहेज लेंगे और न ही दहेज देंगे तथा वे किसी फौजदारी मुकदमों में न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किए गए हैं और न ही उनके विरुद्ध ऐसा कोई मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन नहीं है जिसमें उन्हें मृत्युदण्ड अथवा सात वर्षों की सजा दिये जाने की संभावना है।

(Signature)

8. नियुक्त उम्मीदों को दिनांक-31.07.2019 तक अपना योगदान नव पदास्थापित विद्यालय में समर्पित करना होगा अन्यथा कारण नहीं होने की विधि में उनकी नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जाएगी।
9. योगदान हेतु कोई भार व्यय अथवा साक्ष्य भत्ता देव नहीं होगा।
10. प्रौद्योगिक/प्रौद्योगिक/जाति प्रमाण पत्र/अवकाशीय प्रमाण पत्र संबंधित बोर्ड/संस्था से सत्यापनोपपन्न सही होने एवं मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्था से प्रशिक्षण प्राप्त करने संबंधी तथ्य की सम्पुष्टि होने के पश्चात् ही वेतन भुगतान की कार्यवाई की जाएगी।
11. विद्यालय के अवकाश के दिनों में भी इन नवनियुक्त शिक्षकों को विभागीय प्रशिक्षण/सम्पन्नकार्यन कार्यक्रम हेतु प्रतिनियुक्त किया जा सकेगा तथा उनके प्रशिक्षण में सहभागिता अनिवार्य होगी।
12. नवनियुक्त शिक्षकों की सेवा पुरस्कार आयोग द्वारा प्राप्त उनके मूल दरखावेजों एवं अंकित हस्ताक्षर से मिलान कर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय द्वारा खोला जाएगा।
13. नव नियुक्त शिक्षक की सेवा वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या-518 वि० दिनांक-09.12.2004 द्वारा प्रख्यापित झारखण्ड सरकार सरकारी कर्मचारी अंशदायी पेंशन योजना 2004 के अधीन अंशदायी पेंशन प्रदायी होगी। इसके लिए निर्धारित विहित प्रपत्र में आवेदन देंगे।
14. उम्मीदों उपरोक्त सभी निर्देशों/शर्तों की जानकारी प्राप्त कर उसे पूरा करने के संबंध में आश्वस्त होने के पश्चात् ही योगदान करेंगे अन्यथा किसी शर्त को पूरा नहीं करने हेतु वे स्वयं जिम्मेदार होंगे तथा उनकी नियुक्ति बिना किसी कारण पूछा के समाप्त की जा सकती है।

80/-

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
गिरिडीह।

क्रमांक 2454 / गिरिडीह, दिनांक 24 / 07 / 2019

प्रतिलिपि-संबंधित नव नियुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक/शिक्षिका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि-संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक एवं संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/संबंधित क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी एवं प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि-कोषागार पदाधिकारी, गिरिडीह को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि-उपायुक्त, गिरिडीह/क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, उत्तरी छोटानामपुर प्रमण्डल हजारीबाग की सेवा में सूचनार्थ सादर समर्पित।

प्रतिलिपि-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा एवं प्रधान सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड राँची की सेवा में सूचनार्थ सादर समर्पित।

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
गिरिडीह

24/07/19

कार्यालय- जिला शिक्षा पदाधिकारी, गिरिडीह

पुस्तक लेन-देन अधिकार, जलवायु विभाग के तहत गिरिडीह - 815301, कोलकाता - 06532-250043-221922
e-mail - deogiridih@gmail.com

कार्यालय आदेश

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड राँची की अधिसूचना संख्या-434, दिनांक-01/03/2016 द्वारा प्रस्थापित झारखण्ड सरकारी माध्यमिक विद्यालय शिक्षक नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली 2015 के आलोक में झारखण्ड कर्मचारी वचन आयोग, राँची के विज्ञापन संख्या 21/2016 द्वारा संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2016 के परीक्षाफल एवं कौन्सिलिंग के उपरान्त झारखण्ड कर्मचारी वचन आयोग, राँची द्वारा स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक (सीधी भर्ती) एवं झारखण्ड सरकार के प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक पद पर नियुक्ति हेतु विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए कुल-391 में से 378 अनुशासित अभ्यर्थियों को उपायुक्त, गिरिडीह की अध्यक्षता में जिला शिक्षा रचना-समिति की बैठक दिनांक-26/06/2019 एवं दिनांक 22/07/2019 को लिए गए निर्णय के आलोक में वेतनमान 9300-34800, ग्रेड पे 4600 एवं सरकार द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ता के साथ अस्थायी रूप से योगदान की विधि से निम्नांकित शर्तों के अधीन शिक्षक पद पर नियुक्त कर उनके नाम के सामने अंकित विद्यालय में पदस्थापित किया जाता है-

अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	अनुक्रमांक	विषय	सीधी भर्ती / प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक	वर्ग/नेत कोटि (UR/SC/ST/BC-I/BC-II)	पदस्थापित विद्यालय का नाम
DR AJAY KUMAR PANDEY	BRU BIHARI PANDEY	1112111S189	शारीरिक शिक्षा	सीधी भर्ती	UR	H.S. GANDEY, GRD

शर्तें -

- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है।
- योगदान के पश्चात् दो वर्षों की सेवा परीक्ष्यमान अवधि की होगी सतोषपद सेवा के आधार पर उनकी सेवा संपुष्टि पर विचार किया जाएगा।
- संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक योगदान करने वाले शिक्षक/शिक्षिका को दो दिनों के अन्दर उनकी शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक/आवारीय/जाति प्रमाण पत्र आदि का मिलान संबंधित मूल दस्तावेज से कर लेंगे। मूल दस्तावेज से मिलान करते समय किसी प्रकार की त्रुटि पाए जाने की स्थिति में उसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। अन्यथा की स्थिति में सारी जवाबदेही संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक की होगी।
- अभ्यर्थी द्वारा उपस्थापित शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक प्रमाण-पत्र एवं अन्य कागजात की जाँच संबंधित बोर्ड/संस्था एवं विश्वविद्यालय से कराए जाने के पश्चात् उनका कोई भी प्रमाण-पत्र या कागजात जाली पाए जाने की स्थिति में बिना सूचना के किसी भी समय उनकी नियुक्ति रद्द कर दी जायेगी और उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
- जाँचोपरान्त यह पाए जाने पर कि वे मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किए हैं तो उनकी नियुक्ति बिना सूचना के किसी भी समय समाप्त कर दी जाएगी और उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।
- योगदान के समय मुख्य अरौनिक शल्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा पदत चिकित्सा प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा तभी उनका योगदान स्वीकृत हो सकेगा।
- योगदान के समय अभ्यर्थी को इस आशय का शपथ-पत्र देना होगा कि वे न तो दहेज लेंगे और न ही दहेज देंगे तथा वे किसी फौजदारी मुकदमे में न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किए गए हैं और न ही उनके विरुद्ध ऐसा कोई मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन नहीं है जिसमें उन्हें मृत्युदण्ड अथवा सात वर्षों की सजा दिये जाने की समावना है।



8. नियुक्त अभ्यर्थी को दिनांक-31.07.2019 तक अपना योगदान नव पदस्थापित विद्यालय में समर्पित करना होगा अन्यथा कारण नहीं होने की स्थिति में उनकी नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जाएगी।
9. योगदान हेतु कोई मार्ग व्यय अथवा यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
10. शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक/जाति प्रमाण पत्र/आवासीय प्रमाण पत्र संबंधित बोर्ड/संस्था से सत्यापनोपरान्त सही होने एवं मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्था से प्रशिक्षण प्राप्त करने संबंधी तथ्य की सम्पुष्टि होने के पश्चात् ही वेतन भुगतान की कार्यवाई की जाएगी।
11. विद्यालय के अवकाश के दिनों में भी इन नवनियुक्त शिक्षकों को विभागीय प्रशिक्षण/क्षमतावर्धन कार्यक्रम हेतु प्रतिनियुक्त किया जा सकेगा तथा उनके प्रशिक्षण में सहभागिता अनिवार्य होगी।
12. नवनियुक्त शिक्षकों की सेवा पुरितका, आयोग द्वारा प्राप्त उनके मूल दरस्तावेजों एवं अंकित हस्ताक्षर से मिलान कर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय द्वारा खोला जाएगा।
13. नव नियुक्त शिक्षक की सेवा वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या-518 वि० दिनांक-09.12.2004 द्वारा प्रख्यापित झारखण्ड सरकार सरकारी कर्मचारी अंशदायी पेंशन योजना 2004 के अधीन अंशदायी पेंशन प्रदायी होगी। इसके लिए निर्धारित विहित प्रपत्र में आवेदन देंगे।
14. अभ्यर्थी उपरोक्त सभी निर्देशों/शर्तों की जानकारी प्राप्त कर उसे पूरा करने के संबंध में आश्वस्त होने के पश्चात् ही योगदान करेंगे अन्यथा किसी शर्त को पूरा नहीं करने हेतु वे स्वयं जिम्मेवार होंगे तथा उनकी नियुक्ति बिना किसी कारण पृच्छा के समाप्त की जा सकती है।

ह०/-

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
गिरिडीह।

ज्ञापांक 2454 / गिरिडीह, दिनांक 24 / 07 / 2019

प्रतिलिपि:-संबंधित नव नियुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक/शिक्षिका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:-संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक एवं संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/संबंधित क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी एवं प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:-कोषागार पदाधिकारी, गिरिडीह को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:-उपायुक्त, गिरिडीह/क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल हजारीबाग की सेवा में सूचनार्थ सादर समर्पित।

प्रतिलिपि:-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा एवं प्रधान सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड राँची की सेवा में सूचनार्थ सादर समर्पित।

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
गिरिडीह
24/07/19

Govt. of Jharkhand

EDUCATION

Salary Slip - Jan 2020 Salary

Bill No.:	42/2019-20	DDO CODE	GRDEDN219
Employee GPF No.:	110184212078	Employee A/C No.:	30221988926
Employee Name	AJAY KUMAR PANDEY	Designation:	Trained Graduate Teacher Grade III
PAN No.:	CAJPP2849D	Pay Level:	7
TV No.:	102	TV Date:	17/02/2020

Allowances		Deduction		Recovery	
Basic	₹44,900.00	GLI	₹60.00	Total	0.00
DA	₹7,633.00	PROF TAX	₹175.00		
HRA	₹3,592.00	CPF	₹5,253.00		
Medical Allow.	₹1,000.00	Total	₹5,488.00		
Total	₹57,125.00				

Net Pay: 51637 (Rs. Fifty One Thousand Six Hundred Thirty Seven Only)

DDO's Signature